श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,

नई दिल्ली–110016

क्रमांक: एफ.1(54)/ला.ब.शा.रा.सं.वि/प्रशा./गैर–शै./2024/933 दिनांक: 21.05.2024

अधिसूचना

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 01.11.2023 को आयोजित समिति की बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर तथा कार्य परिषद (Resolution No.10.4.3 दिनांक 22.03.2024) की स्वीकृति के अनुसार श्री ला.ब.शा.रा.सं.वि., नई दिल्ली के कर्मचारियों को शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाशों में कार्य करने के स्थान पर क्षतिपूरक अवकाश देने से संबंधित संशोधित मानदंडों को सभी के सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है –

i) **क्षतिपूरक अवकाश की स्वीकृति केवल ग्रूप बी और सी (अराजपत्रित) के अंतर्गत आने वाले गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों को दी जाएगी** तथा इस संबंध में भारत सरकार के नियमों तथा कार्य परिषद की स्वीकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रियाओं, दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है–

क. आमतौर पर गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों को देय होने के एक माह के भीतर ही क्षतिपूरक अवकाश का लाभ उठाना अनिवार्य होगा। केवल विशेष परिस्थितिवश यदि यह प्रमाणित होता है कि किसी कर्मचारी को एक माह के भीतर क्षतिपूरक अवकाश देने से वर्तमान कार्य करने में गंभीर अव्यवस्था हो सकती है, तो कुलपति/कुलसचिव द्वारा इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

ख. क्षतिपूरक अवकाश खाते में जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक समय में दो दिन से अधिक का क्षतिपूरक अवकाश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, आवश्यक सेवाओं की स्थिति में या जहां बिजली, पंप हाउस/सब–स्टेशन संचालन, चौकीदार/वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, गेस्ट हाउस/हॉस्टल का संचालन, स्वास्थ्य देखभाल इकाई और अन्य क्षेत्रों के रख–रखाव कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की कमी है, वहाँ आवश्यक श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए कुलपति/कुलसचिव ऊपर उल्लिखित शर्त में छूट देते हुए एक वर्ष की अवधि के भीतर एक बार में अधिकतम 05 दिनों की क्षतिपूरक अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

ग. यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर क्षतिपूरक अवकाश का लाभ नहीं उठाया जाता, तो क्षतिपूरक अवकाश को खत्म (lapsed) माना जाएगा।

घ. उपरोक्त के अतिरिक्त, एक कर्मचारी को शनिवार, रविवार और छुट्टियों में काम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम से यह स्पष्टीकरण देकर पूर्व अनुमति लेनी होगी कि सामान्य कार्य दिवसों के दौरान काम नहीं किया जा सकता है। ऐसा न करने की स्थिति में क्षतिपूरक अवकाश नहीं दिया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद, कर्मचारी की उपस्थिति और किए गए कार्य को संबंधित विभागीय प्रमुख, यूनिट प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा तथा स्वीकृति के लिए कुलसचिव, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

ड. विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं ग्रूप–ए के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को क्षतिपूरक अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

उपरोक्त मानदंड इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होंगे और इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन मान्य नहीं होंगे।

इस अधिसूचना के कार्यान्वयन में यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो, उसे नियमानुसार सुधारा जाएगा।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन–।।)

प्रतिलिपि–

1. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक वर्गों के सूचनार्थ
2. समस्त पीठाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/छात्रावास अधिष्ठाता/निदेशक–IQAC/कुलानुशासक
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से अनुरोध है कि वे सभी संबंधितों को वहाट्सएप के माध्यम से सूचित करें तथा उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
6. उप–कुलसचिव (लेखा एवं विकास)
7. उप–कुलसचिव (परीक्षा)
8. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
9. समस्त सहायक कुलसचिव/अनुभाग प्रभारी
10. समस्त अनुभाग अधिकारी
11. विशेष कार्याधिकारी (कुलपति कार्यालय)
12. निजी सचिव–कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी
13. संबंधित पंजिका

सहायक कुलसचिव (प्रशासन–।।)

for n.a. pls.
27/05/24
Sh. Sachin